न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 21/2010 निर्णय दिनांकः– 6/5/26
(जीसीएमएस नम्बर 2010/00034)

1. सुगनाराम (फौत)
1/1 गोमती देवी पत्नी (फौत)
1/2 रामलाल पुत्र
1/3 ओमप्रकाश पुत्र
1/4 राजूराम पुत्र
1/5 शिवशंकर पुत्र

(1/1 से 1/5: पिसरान सुगनाराम जाति जाट निवासीगण गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।)

1/6 विमला पुत्री सुगनाराम पत्नी भवंराराम निवासी जालबसर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।
1/7 तारा पुत्री सुगनाराम पत्नी मोहनराम निवासी जालबसर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।
2. श्रीमती मूली विधवा पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।
3. रामकरण पुत्र स्व. सोनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. सन्तुराम बउम्र 6 वर्ष
5. कु. गुड्डी बउम्र 14 वर्ष
6. कु. इन्द्रा बउम्र 10 वर्ष
7. कु. बरजू बउम्र 8 वर्ष
8. कु. संगीता बउम्र 2 वर्ष

(4 से 8: नाबालिंगान जरिये अपनी माता व प्राकृतिक संरक्षिका एवं वाद मित्र श्रीमती मूली देवी वि. पत्नी सोनाराम जाति जाट नि. गुसाईसर बड़ा)

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. तोलूराम पुत्र मुकनाराम (फौत)
2. श्रीमती सरदारी पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।
4. गुलाबाराम पुत्र मुकनाराम (फौत)
4/1 भंवरलाल पुत्र गुलाबाराम
4/2 सहीराम पुत्र गुलाबाराम
4/3 पुरखाराम पुत्र गुलाबाराम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4/4 भोजाराम पुत्र गुलाबाराम
5. रामचन्द्र पुत्र मुकनाराम (फौत)
5/1 मोहिनी पत्नी रामचन्द्र
5/2 परमाराम पुत्र रामचन्द्र
5/3 पुनमचंद पुत्र रामचन्द्र
5/4 नोरंगलाल (फौत)
5/4/1 राधा पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा
5/4/2 सांवरमल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा
5/4/3 द्वारका प्रसाद पुत्र नोरंगलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा
5/4/4 विजयपाल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा
5/4/5 द्रापती पत्नी लक्ष्मणराम पुत्री नोरंगलाल निवासी बीझांसर
5/4/6 श्रीमती नानू पत्नी भागीरथ निवासी बींझासर
5/4/7 रामेती पत्नी भेराराम पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी बंधनाउ
5/5 चुन्नी पत्नी परमाराम पुत्र रामचन्द्र
6. श्रीमती रामप्यारी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील बीकानेर
7. श्रीमती धापू पत्नी आसूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05–07–1997
उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ (वर्तमान क्षेत्राधिकार श्रीडूंगरगढ़)

2. अपील संख्याः 64/08 **निर्णय दिनांकः–**
(जीसीएमएस नम्बर 2008/00015)

1. रामचन्द्र (फौत)
1/1 मोहिनी पत्नी रामचन्द्र
1/2 परमाराम पुत्र रामचन्द्र
1/3 पुनमचंद पुत्र रामचन्द्र
1/4 चुन्नी पत्नी परमाराम
} जाति जाट निवासीगण गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. गुलाबराम (फौत)
2/1 भंवरलाल
2/2 सहीराम
2/3 पुरखाराम
2/4 भोजाराम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2/5 नोरंगलाल (फौत)

2/5/1 राधा पत्नी नोरंगलाल

2/5/2 सांवरमल
2/5/3 द्वारका प्रसाद
2/5/4 विजयपाल
} पुत्रगण नोरंगलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़

2/5/5 द्रोपती पत्नी लक्ष्मणराम पुत्री नोरंगलाल निवासी बींझासर

2/5/6 श्रीमती नानू पत्नी भागीरथ पुत्री नोरंगलाल निवासी बींझासर

2/5/7 रामेती पत्नी भेराराम पुत्र नोरंगलाल जाति जाट निवासी बंधनाउ

2/6 रामकिशन पुत्र गुलाबाराम जाति जाट निवासी गुंसाईसर

2/7 किस्तुरी पुत्री गुलाबाराम पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी रानीसर बास, बीकानेर।

2/8 केसर पुत्री गुलाबाराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी कीतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

2/9 जानी पुत्री गुलाबाराम पत्नी खीराजराम जाति जाट निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3. सुगनाराम (फौत)

3/1 गोमती देवी पत्नी (फौत)

3/2 तारा पुत्री सुगनाराम पत्नी मोहनराम निवासी जालबसर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।

3/3 विमला पुत्री सुगनाराम पत्नी भवंराराम निवासी जालबसर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।

3/4 रामलाल पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3/5 ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3/6 राजूराम पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3/7 शिवशंकर पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

4. श्रीमती मूली विधवा पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. रामकरण पुत्र स्व. सोनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. सत्यनारायण पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. गुड्डी पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. इन्द्रा पत्नी हरूराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. बरजा पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. संगीता पुत्री स्व. सोनाराम पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. खेतू पत्नी तोलूराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. उदाराम पुत्र तोलूराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
3. हेतराम पुत्र तोलूराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
4. लिच्छीराम तोलूराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
5. राधा पत्नी मूलाराम पुत्री तोलूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील बीकानेर।
6. तीजा पत्नी मांगीलाल पुत्री तोलूराम जाति जाट निवासी सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
7. पप्पू पत्नी मदनलाल पुत्री तोलूराम जाति जाट निवासी घाबरिया तहसील श्रीडूंगरगढ़।
8. राजस्व तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़
9. श्रीमती रामप्यारी पत्नी भीखाराम
10. श्रीमती धापू पत्नी आसूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील व जिला बीकानेर।

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2005
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द डूडी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांटस
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के निर्णय दिनांक 05–07–1997 व उपखण्ड़ अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2005 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु बिन्दु एवं पक्षकार एकसमान होने के कारण दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक दावा बाबत घोषणात्मक, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के वाद में पहले प्राथमिक डिक्री दिनांक 05–07–1997 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 09–09–2005 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त दोनो आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विरूद्ध कानून असूल एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा में जो अभिकथन किये वे विरोधाभासी व झुठे है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने दावा की मद संख्या 1 में हीराराम को अपने पिता के जीवनकाल में न्यारा की कहानी करके तथा हीराराम को विवादित खेतो में कोई भी हिस्सा न देने की जुबानी कहानी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बयान करके दावा किया था। परन्तु उसने न्यायालय मे हुए अपने अभिवचनो में स्वयं ने माना है कि हीराराम फौत हुआ तब मेरे पिताजी के साथ और अपने बयानो मे खसरा नम्बर 737 यानि 38 बीघा भूमि गुलबाराम एवं हीराराम को देना बयान किया है जिससे जो कहानी मौखिक बंटवारा की दावा की मद संख्या 2 में बयान की है झूठी साबित हो जाती है। वादी के अभिवचनो व एवं साबित प्लीडिंग में अन्तर है। इसलिए वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 530, 571 वादी के गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खेत नही थे बल्कि मुकनाराम के नाम की खातेदारी के थे जो वाद/रेस्पो. के दादा थे। तनकी संख्या 1 का निर्णय फरमाते समय वादी एवं प्रतिवादीगण के साक्षी सही व ढंग से विश्लेषणात्मक निष्कर्ष नही निकाला क्योकि रेस्पो. ने स्वयं को इन वादग्रत खेतो के व्यक्ति कब्जा काश्त के होने तथा खेतो का व्यक्तिगत रूप से काश्तकार/खातेदार कृषक होने का अभिकथन अपने दावे में किया जिसको उसने अपने साक्ष्य से साबित नही किया है। गवाहान द्वारा जो सुवाला एवं रावला खेतो को वादी/रेस्पो. के द्वारा काश्त करना बताते जबकि वादी का इन खेतो से कोई लेना–देना नही था नाही खेतो के बाबत दावा मे कोई रिलीफ चाही है। सुवाणा खेत स्वयं वादी/रेस्पो. तालूराम, गुलाबराम की पांति में रखा मानता है और बयानो में इस खेत को हीराराम, गुलाबाराम की पांति के बयान बरता है। अतः इन गवाहो की साक्ष्य वादी की साक्ष्य से विपरीत होने तथा आपस में विरोधाभासी है तथा कहानी विश्वसनीय नही होने के कारण तनकी नम्बर का निष्कर्ष अवैधानिक एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। तनकी संख्या 2 विभाजन की बाबत है और विभाजन की कहानी वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य में पूर्ण रूप से मेल नही खाती है तथा अभिवचनो और सबूत में काफी अन्तर है। वादी तालूराम इस कहानी को पूर्ण ढंग से साबित भी नही कर पाया है जबकि प्रतिवादी/अपीलांट की कहानी विश्वसनीय होते हुएव भी न माने का कोई कारण नही था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो की बाबत कोई विचार नही किया और विभाजन के दावे में हीराराम की 6 लड़किया, मोहनी, कानी, सावित्री, सरस्वती, रेवन्ती, कानी आवश्यक पक्षकार थी जिनको भी विभाजन के दावे में पक्षकार बनाये बिना दावे को पूर्ण ढंग से पक्षकारो के मध्य विवाद को तय नही करवाया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रश्न पर कोई विचार नही किया और तनकी संख्या 2 का निर्णय में 1/6 हिस्सा का बंटवारा करवाने का अधिकारी नही मानते हुए भी खसरा नम्बर 162 की वादी के हिस्से की बाबत प्राथमिक डिक्री के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पश्चात ही तय होने बाबत लिखकर अन्त में 1/6 हिस्से की कहानी मानते हुए अनुतोष में वादी की मांग को प्रदान करने में कानूनी भुल की है। विभाजन की मांग वादी ने खसरा नम्बर 162 में ही मांगी थी परन्तु काबिल अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 129, 162, 737 सम्पूर्ण में रिलीफ तय कर कानूनी भूल कारित की है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है तथा सयुक्त खातेदारी में प्रत्येक पक्षकारान का हिस्सा होता है। अतः खसरा नम्बर 531, 730 के वादग्रस्त खेत संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त में होने के कारण चिर निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नही की जा सकती ना ही अकेले वादी तोलूराम का कोई कब्जा था। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना क्लेम पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नही की गई ना ही वाद कारण व वाद हेतुक के बाबत कोई तनकी कायम की गई। वादी का दावा आदेश 6 नियम 2 एवं 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य होते हुए भी दावा डिक्री किया गया है। उक्त निर्णय पूर्णतय गलत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करते समय अपीलांटस को नही बुलाया ना ही उनसे ऐतराज मांगा, ना ही तमाम खसरो का नक्शा बनवाकर मंगवाया केवल तोलूराम के वारिसान को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए अंतिम डिक्री पारित की है। उक्त तमाम खसरो पर संयुक्त रूप से कब्जा अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस का आज भी मौजूद है। कोई घरेलू बंटवारा नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री में खसरा नम्बर 531 व 730 को वादी तोलूराम अकेले के वारिसो के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है और खसरा नम्बर 129, 162 व 737 मे तोलूराम के वारिसो का हिस्सा अंकित करने के आदेश दिये है जब ये अंतिम डिक्री पारित की गई है तो तालूराम की मृत्यु हो चुकी थी। तोलूराम के वारिस कौन–कौन है, इस बाबत कोई जॉच नही की गई, दावा बंटवारे का था, अंतिम डिक्री में मौके पर जाकर तहसीलदार द्वारा न तो कोई नक्शा बनाया और ना ही खसरो का विभाजन किया। तहसीलदार ने गलत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर बिना कोई जॉच किये अपीलांटस को बिना सुने, तहसीलदार के प्रस्तावो को ज्यो का त्यो अंतिम डिक्री में दर्ज कर दिया गया। अंतिम डिक्री के आधार पर रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को रहन बय करने की फिराक में है और मौके पर अलग अलग कब्जा नही होने से जबरन कब्जा की

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोशिश में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना कानूनी प्रकिया व बिना मस्तिक के पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांटस ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10–04–2008 को हुई, जब अपीलांटस को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ की ओर से नोटिस मिली कि पूर्व में पेश हुए किसी वाद के निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का इन्द्राज होना है इसलिए कोई अपील आदि चल रही है तो अवगत करावे, जिस पर अपीलाटस दिनांक 11–04–2008 को तहसीलदार के समक्ष पेश हुए, जहॉ उन्हे सबूत पेश करने के लिए दिनांक 19–04–2008 को पेशी दी गई, इससे पूर्व अपीलांटस को अंतिम निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नही थी। अपीलांटस ने वकील से मिलकर कानूनी सलाह ली और दिनांक 16–04–2008 को निर्णय व डिक्री की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उन्हे दिनांक 17–04–2008 को नकल मिली। जिस पर अपीलांटस ने रूपयो आदि का इंतजाम कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा एक दावा घोषणात्मक, बंटवारा एवं चिरनिषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा में पूर्ण साक्ष्य, सबूतो के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री जारी की गई। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है अर्थात उक्त विभाजन से उनके हितों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है। वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने समर्थन में कई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श के रूप में दर्ज है तथा कुल 3 लोगो के साक्ष्य करवाये है जबकि अपीलांट द्वारा केवल 1 व्यक्ति के साक्ष्य ही करवाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शो व साक्ष्यो के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड करवाना चाहते है। प्राथमिक डिक्री के आधार पूर्ण प्रक्रिया.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपनाते हुए अन्तिम डिक्री जारी की गई है अतः अन्तिम डिक्री विधि सम्मत है जिसे बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स मियाद के बिन्दु पर कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2005 के विरूद्व अपील दिनांक 26–04–2008 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक घोषणात्मक, बंटवारा व चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। इस दावे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अपीलाधीन आराजी खेत खसरा नम्बर 531 व खसरा नम्बरी 730 की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाब दावा लेकर निम्नानुसार तीन तनकीयात कायम की गई–

1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 531 मीन तादादी 48 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 730 मीन तादादी 50 बीघा 2 बिस्वा वाके गुसाईसर का वादी खातेदार काश्तकार है?
2. क्या वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 129, 162 व 737 की भूमि का बंटवारा करवाकर जबानी बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 162 तादादी 30 बीघा 2 बिस्वा वाके गुसाईसर अपनी पृथक खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है?
3. क्या वादी खसरा नम्बर 531, 730 व 162 की भूमि बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?

अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में 13 दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये तथा 3 लोगो के साक्ष्य वादी में बयान करवाये गये जबकि प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाना प्रकट नही होता। केवल एक व्यक्ति के बयान करवाया जाना प्रकट होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। हस्तगत अपील में आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहे गये। इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 08–02–2001 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 खारिज किया गया जिसे अपीलांट द्वारा कही चुनौती नही दी गई।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में नकल खतौनी संवत 2016, नकल जमाबंदी संवत 2016 से 2019, नकल जमाबंदी संवत 2024 से 2027, नकल गिरदावरी संवत 2020 से 2023 सहित कुल 13 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। किसी भी राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि को सही मानने की उपधारणा की जाती है जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शो के आधार पर तनकीवार तार्किक विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अभिभाषक अपीलांट यह साबित करने में विफल रहे

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में क्या विधिक त्रुटि कारित की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रदर्श नही करवाये गये और इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट का दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज कर दिया गया। जिसे अपीलांट द्वारा कही चुनौती नही दी गई।

इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 6/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

<u>डिकरी ब सीगे अपील</u>

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

सुगनाराम (फौत) बनाम तोलूराम (फौत)
अपील संख्या 21 / 2010

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ (वर्तमान क्षेत्राधिकार श्रीडूंगरगढ)
मुवर्खे 05–07–1997

यह अपील ब–तारीख 06–05–2026 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री गोविन्द दूडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सत्यनारायण तिवाड़ी पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–07–1997 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तपसील जेरे तादादी मुबलिग ......–......) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....–........... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06 माह मई सन् 2026 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

<u>खर्चा अपील</u>

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	पै.
1. स्टाम्प अपील.......... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत्			1. स्टाम्प वकालतनामा............ 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		